

# उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

505 / 2016

1. सुगनसिंह पुत्र
2. सुमेर सिंह पुत्र
3. संतोष कंवर पत्नि

स्व० जगदीशसिंह जाति राजपूत निवासीगण पाडलिया तह० मांगरोल



....प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज०)

....अप्रार्थी

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर०एल०आर०एक्ट०

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री कर्मवीर शर्मा

दायरा दिनांक: 19.09.2016

निर्णय दिनांक : 15.02.2018

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खाते की आराजी खाता संख्या 87 खसरा नं० 589 रकबा 0.49 है०, खसरा नं० 600 रकबा 0.36 है०, खसरा नं० 601 रकबा 0.11 है०, खसरा नं० 646 रकबा 0.26 है०, खसरा नं० 1021 रकबा 0.01 है०, खसरा नं० 1024 रकबा 0.03 है०, खसरा नं० 1026 रकबा 0.01 है०, खसरा नं० 1033 रकबा 0.02 है० कुल किता 8 रकबा 1.29 है० वाके ग्राम पाडलिया तह० मांगरोल में स्थित है जो प्रार्थीगण को विरासत में प्राप्त हुयी है। उक्त वर्णित आराजी सेटलमेंट के पूर्व खसरा नं० 489 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं० 490 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं० 493 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं० 522 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं० 706 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नं० 702 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नं० 710 रकबा 1 बिस्वा कुल किता 7 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा सम्वत 2037-40 में खातेदार गुलाबबाई दुखतर ग्यारसीसिंह कोम राजपूत साकिन देह के नाम दर्ज रेकार्ड थी जो प्रार्थीगण की दादी थी। इस प्रकार प्रार्थीगण की आराजी में 0.26 है० की कमी करते हुए सेटलमेंट विभाग ने आराजी दर्ज कर दी जिसको प्रार्थीगण दुरुस्त करवाने के अधिकारी है। अतः निवेदन है कि ग्राम पाडलिया तह० मांगरोल की आराजी खाता संख्या 87 रकबा 1.29 है० में हुयी कमी 0.26 है० दुरुस्त की जाकर वर्तमान रकबा गत रकबे के मुकाबले 1.55 है० दर्ज किया जाकर नक्शा भी दुरुस्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 19.09.2016 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर  
तहसीलदार मांगरोल से जांच रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार मांगरोल ने अपने पत्र  
00अ0/2017 केम्प हिंगोनिया/10 दिनांक 07.07.2017 से अपनी रिपोर्ट में अंकन किया कि  
हल्का पाडलिया से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पाडलिया की जमाबन्दी सम्वत् 2071-74  
खाता संख्या 87 मे सुगन सिंह , सुमेर सिंह पुत्रान जगदीश सिंह वगैरे के नाम 8 बीघा रकबा 1.  
9 है० भूमि खाते दर्ज है। तथा सेटलमेंट से पूर्व खाते मे 9.07 बीघा की तुलना मे 0.20 है० की  
कमी पाई समीपवर्ती खसरा नं. के रकबे से मिलान करने पर किसी भी खसरा नं. के रकबे मे  
बढोतरी नही हुई अतः कमी रकबे की पूर्ति किया जाना सम्भव नही है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट  
अनुसार समीपवर्ती खसरा नं. के रकबे से मिलान करने पर किसी भी खसरा नं. के रकबे मे बढोतरी  
नही होने से कमी रकबे की पूर्ति किया जाना सम्भव नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता  
है। पत्रावली में निर्णय मजमें आम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर  
दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।